खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए वरदान

बचत में वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर अधिक खर्च मुमकिन: सर्वेक्षण

सीआरआईएसएल की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा विधेयक सफलतापूर्वक लागू होने से शहरों और गांवों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे (बीपीएल) परिवारों की बचत में वृद्धि होगी जिससे वे स्वास्थ्य, शिक्षा और पौष्टिक आहार पर खर्च करने में समर्थ हो सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विधेयक के अमल में आने से कुछ राज्यों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार के लिए इस साल लगभग 4,400 की अतिरिक्त बचत भी हो सकती है। बचत में बढ़ोतरी इसलिए मुमकिन हो सकेगी क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार जो वर्तमान में बाज़ार से ऊंचे दामों पर अनाज खरीदते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने के बाद रियायाती दरों पर चावल और गेहूं मिल सकेगा। 2009-10 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 44 प्रतिशित से भी कम परिवारों को रियायती दर पर चावल सुलभ हुए और केवल 33 परिवारों ने ही रियायाती दाम पर गेंहू खरीदी। रेटिंग एजेंसी के मुख्य आर्थिक विशेषज्ञ धर्माकृति जोशी ने कहा 'गावों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की अतिरिक्त बचत, उनके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी हर साल किए जाने वाले खर्च के दुगुनी होगी। सही तरीके से खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने से यह न केवल उन्हें खाद्य सुरक्षा की गारंटी देगा बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा, जिससे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रोटीन युक्त भोजन और घर की उपभोगीय सामग्री पर अधिक खर्च कर सकेंगे।' गावों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रति वर्ष लगभग 2,400 रूपए खर्च करते हैं। खाद्य विधेयक के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद लगभग 50 प्रतिशत राशि अतिरिक्त बच सकेंगी जो 4,400 रूपए की बचत ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवारों के कुल वार्षिक व्यय के लगभग 8 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

2. बचत ज़्यादा होने पर गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को अनिवार्य चीज़ों पर अधिक खर्च करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अत: इस विधेयक से कई और फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि इसे वास्तविकता का रूप देने के लिए सरकार को आय की स्थिति के वर्गीकरण के कार्य के दौरान सही ढंग से बीपीएल परिवारों को चिन्हित करना होगा। बीपीएल परिवार जिन्हें वर्तमान में रियायाती दर पर खाद्य सुलभ नहीं हो रहा, एक बार उपयुक्त पहचान पत्र मिलने पर उन्हें रियायती दर पर अनाज मिल सकेगा, जो बाजार मूल्य से कम होगा।

"प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ विद्या महाम्बरे ने कहा 'खाद्य सुरक्षा विधेयक की सफलता इसके जरिए वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की संख्या से मापी जानी चाहिए, विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां बीपील जनसंख्या काफी अधिक है । एक बार वांछित लाभार्थियों की पहचान होने पर आधार कार्ड के ज़रिए सरकार विशिष्ट पहचान संख्या को उनकी आय स्थिति के साथ जोड़ सकती है '

(स्रोत: टीओआई और एजेंसियां)

रोज़गार समाचार के 27 अप्रैल-3 मई, 2013 के अंक में रितिका खेरा के 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में राज्यों की भूमिका' पर लेख भी पढ़ें।